19

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 27/2022 बउनवानी अनिता परिडवाल बनाम लो.सू.अधि.एवं सचिव नगर विकास न्यास, निवासी बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विद्याधर नगर, सै0–1जयपुर 302039, सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/48

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
2.3.2022	

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 20.12.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

- A- सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर आवेदिका द्वारा सचिव नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर के कार्यालय में अपने भूखण्ड ख.न. 1764 राजस्व ग्राम आलनपुर के 90ए एवं ले आउट प्लान हेतु प्रेषित प्रार्थना पत्र रजिस्टर्ड पत्र संख्या 325169822 दिनांक 2.12.2021 को भेजा था जो कार्यालय मे दिनांक 6.12.2021 को प्राप्त किया गया । उक्त पत्र की मय संलग्नक प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
- B- उक्त पत्र पर नगर विकास न्यास द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही, ऑफिस नोटिंग (कार्यवाही एवं ली गयी रिपोर्ट) एटीआर, के समस्त पृष्ठो की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करावे।
- C- अपने भूखण्ड के 90ए करने संबंधी एक पत्र आवेदिका द्वारा जरिये ई–मेल मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया गया जो कि सीएमओ कार्यालय द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर आईडी संख्या 122121511455981 दिनांक 2.12.2021 को दर्ज कर निस्तारण हेतु सचिव यूआईटी सवाईमाधोपुर को प्रेषित किया गया। उक्त पत्र के प्रत्युत्तर मे आवेदको को अनुतोष प्रदान करने हेतु यूआईटी द्वारा क्या कार्यवाही की गयी। समस्त कार्यवाही सहित उक्त सीएमओ परिवाद के समस्त पृष्ठो की प्रिन्ट आउट उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी।

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुई किन्तु पूर्ण सूचना उपलब्ध नही होना अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.2.22 मे बताया गया है। दौराने सुनवायी प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव, नगर विकास न्यास सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः प()नविन्या/स.मा./2022/260 दिनांक 25.2.2022 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.12.2021 के बिन्दु संख्या A पर चाही गयी सूचना मुख्य शिकायत कर्ता श्रीमति सीता मीना को जरिय पत्रांक 997 दिनांक 23.12.21 से तथा बिन्दु संख्या B, C,की सूचना कार्यालय पत्रांक 67 दिनांक 14.1.2022 से अपीलान्ट अनिता परिडवाल को भिजवायी जा चुकी है इस प्रकार अपीलान्ट को वांछित सूचना मे से कार्यालय मे उपलब्ध सूचना उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या सी की सूचना के संबंध मे वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

नगर विकास न्यास के प्रतिनिधि द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिनांक 20.12.21 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या [illegible] की पर चाही गयी सूचना अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या सी [illegible] अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली [illegible] शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:18:04 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर